संख्या-4017/26-3-97-4(69)/97

प्रेषक,

[illegible],
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

निदेशक/स. कल्याण उ.प्र.
संख्या -161/
दिनांक 12-8-97

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 6 अगस्त, 1997

विषय:- श्री छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (भागीदारी भवन), लखनऊ का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3140/26-3-97-4(69)/97 दिनांक 01 जुलाई, 1997 का आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत संस्था के संचालनार्थ तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् निदेश प्रसारित किये जाते हैं:-

1- संस्थान के छात्रावास में प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम प्रवेश क्षमता 300 प्रशिक्षणार्थियों की होगी। प्रशिक्षण की सामान्य अवधि 5 माह अथवा शासन द्वारा समय-समय पर जो निर्धारित की जाय, वह होगी।

2- संस्थान में आई०ए०एस०/पी०सी०एस०, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बैंकिंग सेवा रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे चयन बोर्ड, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय जीवन बीमा निगम व अन्य प्रतिष्ठित सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी।

3- प्रशिक्षणार्थियों का अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का होना अनिवार्य होगा और उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। साथ ही किसी सरकारी/गैर सरकारी सेवा में कार्यरत एवं किसी संस्थान में अध्ययनरत नहीं होना चाहिए।

4- अभ्यर्थियों के माता-पिता/अभ्यर्थियों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रुपया 60,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5- संस्थान में अनुसूचित जाति के 45 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के 5 प्रतिशत और पिछड़ी जाति के 50 प्रतिशत अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए।

Director

अपर निदेशक कैम्प

(मदन सिंह)

2

6- अभ्यर्थियों के लिए वे सारी अर्हताएं आवश्यक होंगी जो विभिन्न परीक्षाओं, जिनके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, के लिए अपेक्षित होंगी।

7- प्रशिक्षणार्थियों के चयन के लिए यदि संख्या अधिक हो तो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा और यदि संख्या बहुत अधिक न हो तो प्राप्त अंकों के आधार पर उनका चयन निम्नलिखित समिति के माध्यम से किया जाये:-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।

2- निदेशक, समाज कल्याण अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।

3- निदेशक, जनजाति विकास अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।

4- निदेशक, पिछड़ा वर्ग विकास अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।

5- प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण द्वारा नामित एक विशेषज्ञ।

6- निदेशक, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो समिति के सदस्य सचिव होंगे।

8- संस्थान का संचालन बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा किया जायेगा, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण	अध्यक्ष।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0	सदस्य।
3- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0	सदस्य।
4- निदेशक, पिछड़ा वर्ग, उ0प्र0	सदस्य।
5- निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार	सदस्य।
6- संस्थान के निदेशक	सदस्य सचिव।

9- संस्थान में शोध का कार्य किन-किन विषयों पर किया जायेगा इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लेकर आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

10- संस्थान के निदेशक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जिन्हें समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होंगे। संस्थान की नियमावली बनने तक निदेशक, संस्थान संचालन एवं दिन प्रतिदिन के कार्य आदि के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे।

...3

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप छत्रपति श्री शाहूजी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण एवं संचालन की समुचित व्यवस्था करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत आदेश दिनांक 01-07-97 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(स्वर्ण दास)
प्रमुख सचिव।

संख्या-4017(1)/26-3-97 तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी।
2- सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
3- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।
4- निदेशक, अनुसूचित जाति/जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० लखनऊ।
5- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
6- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र० लखनऊ।
7- निदेशक, छत्रपति श्री शाहूजी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
8- निजी सचिव, मा० समाज कल्याण मंत्री जी, उ०प्र० शासन।
9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ०प्र०शासन।
10-निजी सचिव, सचिव, समाज कल्याण, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,

(स्वर्ण दास)
प्रमुख सचिव।